भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 09

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का कार्यान्वयन

†09. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल्द ही नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि सीएए विधेयक को एक वर्ष से अधिक समय पूर्व, पारित किया गया था, सीएए के अंतर्गत बनने वाले नियम आज भी प्रक्रियाधीन है;

(ग) क्या नियमों को अधिसूचित किए बिना उक्त अधिनियम निष्प्रभावी रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) दिनांक 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था। यह दिनांक 10.01.2020 से प्रभावी हो गया है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के अंतर्गत नियम तैयार किए जा रहे हैं। लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के अंतर्गत सांविधिक नियम बनाने के लिए क्रमश: दिनांक 09.04.2021 और 09.07.2021 तक का समय-विस्तार प्रदान किया गया है।

*****